

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021-22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल प्रथम, विशेष शिक्षा (एच.आई.) के 143 पदों पर जारी विज्ञापन संख्या 01/2021-22 दिनांक: 31-12-2021 अन्तर्गत आदेश दिनांक: 17-04-2022 में प्रोविजनल (अस्थाई) चयनित अभ्यर्थियों में से जिला स्तर पर अपात्र एवं निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से रिक्त रहे पदों के विरुद्ध पूर्व में जारी दो गुणा सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा सूची में प्रोविजनल चयन कर जिला आवंटित किया जाता है :-

Sr No.	Merit No.	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Cat	SEL_CAT	SEL_GEN	SPL_Cat	Alloted District
1	WL-143	202218367546	AMIT SHARMA	ASHOK KUMAR SHARMA	01/03/1993	Male	GENERAL	UR	GEN	-	JAIPUR
2	WL-144	202218459583	LOKESH KUMAR	SHRI FAL SINGH	06/12/2001	Male	MBC NCL	UR	GEN	LD	KARAUJI
3	WL-145	202218263232	LALITA MANDA	NIMA RAM	02/10/2000	Female	OBC-NCL	UR	GEN	LD(BL)	JHUNJHUNU
4	WL-146	202218462939	RESHVIR	DALBIR	05/12/1999	Male	GENERAL	UR	GEN	LD(BL)	JAIPUR

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल प्रथम, सामान्य/विशेष शिक्षा के पदों पर प्रोविजनल चयनित उक्त अभ्यर्थियों का जिला आवंटन तथा नियुक्ति/पदस्थापन सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 20743/2021 देवेश कुमार शर्मा बनाम भारत संघ व अन्य कनेक्टड याचिकाएँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डी.बी. सिविल (पीआईएल) रिट याचिका संख्या 2487/2022 एबीवीपी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा समान विषयक दायर अन्य कनेक्टड याचिका संख्या 5078/2022, 4721/2022, 5079/2022, 5076/2022, 5077/2022 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में उक्त भर्ती के संबंध में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.)

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रार/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्या.भर्ती.2021-22/गैर.अनु./ले-1/वि.शि. (एच.आई.)/2022 दिनांक: 13/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उपायुक्त, शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति संबंधित नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), प्रारम्भिक शिक्षा संबंधित के प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में जिला परिषद् से सम्पर्क कर नियुक्ति संबंधित नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(विधि) जोधपुर/जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर